

[2023] 1 एस. सी. आर. 1045

ई. एस. आई. निगम

बी.

एम/एस। राधिका थिएटर

(2023 की सिविल अपील संख्या 312)

20 जनवरी, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 - एस. 1 (6) (अंतःस्थापित डब्ल्यू. ई. एफ. 20.10.89)-
क्या डब्ल्यू. आर. टी. मांग नोटिस पोस्ट 20.10.89, ए

20.10.89 से पहले स्थापित कारखाना या प्रतिष्ठान ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होगा, जिसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या के बावजूद-आयोजित: एस की उप-धारा (6) को सम्मिलित करने से पहले। 1 , केवल वे प्रतिष्ठान/कारखाने जो 20 से अधिक काम करते हैं। कर्मचारी ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होते थे-हालाँकि, एस की उप-धारा (6) के बाद। 1 आई. डी. 1 पर अंतःस्थापित किया गया था, संशोधित प्रावधान के तहत एक कारखाना या प्रतिष्ठान जिसमें ई. एस. आई. अधिनियम लागू होता है, ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होगा, भले ही उसमें किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम हो, इसलिए आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए मांग सूचनाओं के लिए, प्रत्येक कारखाने या प्रतिष्ठान का दायित्व होगा, चाहे उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो-ऐसी सूचना के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधित एस. 1 उप-धारा (6) को अंतःस्थापित करना पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है-केवल धाराओं की उप-धारा (6) को अंतःस्थापित करने से पहले की अवधि के लिए मांग सूचना के मामले में। 1 , यह कहा जा सकता है कि वही प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है-धाराओं की उप-धारा (6)। 1 इसलिए, उन प्रतिष्ठानों के संबंध में भी लागू होगा, जो 31.03.1989/20.10.1989 से पहले स्थापित किए गए थे-उच्च न्यायालय ने 20.10.89 के बाद की अवधि के लिए भी मांग नोटिस को रद्द करने में गलती की।

20.10.1989 पुनर्स्थापित किया।

सामाजिक कल्याण कानून के कानूनों की व्याख्या

- आयोजित की व्याख्या: ई. एस. आई. अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून होने के कारण, लाभार्थी के पक्ष में कोई भी व्याख्या दी जानी चाहिए-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को शामिल करने से पहले, केवल वे प्रतिष्ठान/कारखाने जो अधिक काम करते हैं।

[2023] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20 से अधिक कर्मचारी ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित थे। हालाँकि, इसके बाद, ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को 20.10.1989 पर डाला गया है, और 20.10.1989 के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और संशोधित प्रावधान के तहत एक कारखाना या

इसमें किसी भी समय ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से नीचे आता है। इसलिए, 20.10.1989 को और उसके बाद, किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या चाहे जो भी हो, ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होगा। इसलिए, मांग नोटिसों के लिए आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए, प्रत्येक कारखाने या प्रतिष्ठान का दायित्व होगा, चाहे उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो। ऐसी सूचना के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि उप-धारा (6) डालने वाली संशोधित धारा 1 लागू होती है।

जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। केवल अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (6) डालने से पहले की अवधि के लिए मांग सूचना के मामले में, यह कहा जा सकता है कि वही प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन और अभिनिर्धारित करने में एक बहुत ही गंभीर त्रुटि की है कि धारा 1 की उप-धारा (6) डालने के बाद की अवधि के लिए मांग सूचनाओं के लिए भी उक्त प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है और उच्च न्यायालय ने 20.10.1989 के बाद की अवधि के लिए भी अपील की अनुमति देने और मांग नोटिसों को रद्द करने में गलती की है। इसलिए धारा 1 की उप-धारा (6) यहां तक कि लागू होगी

उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जो 31.03.1989/20.10.1989 से पहले स्थापित किए गए थे और ई. एस. आई. अधिनियम लागू होगा, चाहे नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो या इसके बावजूद कि किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनारा कर दिया गया है और 20.10.1989 के बाद की अवधि के लिए मांग नोटिस हैं

पुनर्स्थापित किया। [पैरा 7,8] [1053-ई-एच; 1054-ए-डी]

बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम। क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआईसी (2014) 9 एससीसी 657: [2014] 8 एससीआर 1021-निर्भर

पर।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 8 एससीआर 1021

उस पर भरोसा करें

पैरा 6 ई. एस. आई. निगम v. एम/एस। राधिका थिएटर

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.312

2023 .

2011 के सी. एम. ए. No.125 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 17.02.2021 के निर्णय और आदेश से।

महेश श्रीवास्तव, वैभव मनु श्रीवास्तव, सुश्री निहारिका गुप्ता, अभिषेक जैसवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और आदेश दिनांक 17.02.2021, हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध में पारित किया गया। अपील सं. 125/2011, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और ई. आई. सी. सं. 14/2003 को खारिज करते हुए कर्मचारी बीमा न्यायालय (जिसे इसके बाद ई. आई. कोर्ट के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 13.12.2010 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी ने यहां ई. एस. आई. निगम द्वारा जारी दिनांकित 31.08.1994 के मांग नोटिस को चुनौती दी है, ई. एस. आई. निगम ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 कि यहाँ प्रतिवादी 1981 से एक सिनेमा थिएटर चला रहा था। इसने सितंबर, 1989 तक ई. एस. आई. योगदान का भुगतान किया। हालाँकि, उसके बाद, चूंकि इसके कर्मचारियों की संख्या 20 से कम थी, इसलिए इसने योगदान का भुगतान नहीं किया। इसलिए, अपीलार्थी-निगम ने मांग नोटिस जारी किए। इसमें प्रत्यर्थी ने ई. आई. सी. सं. 14/2003 के माध्यम से ई. आई. सी. न्यायालय के समक्ष मांग नोटिस को चुनौती दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि ई. एस. आई. अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उप-धारा (6) को शामिल करने से पहले, उसने 20 से कम व्यक्तियों को नियुक्त किया था और इसलिए, यह ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने के लिए उत्तरदायी नहीं था। ई. आई.

अदालत ने 13.12.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से मामले को खारिज कर दिया। ई. आई. अदालत द्वारा मांग नोटिस की पुष्टि करने वाला आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का विषय था। उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी-मूल अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) जो 20.10.1989 पर डाली गई थी, उसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा और यह केवल 20.10.1989 पर या उसके बाद ही प्रभावी होगी और उस तारीख से पहले नहीं। दूसरी ओर, ई. एस. आई. निगम की ओर से यह मामला था कि ई. एस. आई. अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून होने के कारण, [2023] 1 एस. सी. आर. को अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसी तरह, जैसा कि इसका उद्देश्य संबंधित श्रमिकों के कल्याण के लिए है। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 1 की संशोधित उप-धारा (6) के अनुसार, सभी प्रतिष्ठान ईएसआई अधिनियम द्वारा शासित होंगे, इसके बावजूद

तथ्य यह है कि इसमें लगे व्यक्तियों की संख्या निर्धारित संख्या से कम है। हालाँकि, इसके बाद, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील को यह विचार रखते हुए स्वीकार कर लिया है कि ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 में संशोधन जिसके द्वारा धारा 1 की उप-धारा (6) को डब्ल्यू. ई. एफ. 20.10.1989 अंतःस्थापित किया गया था, वह पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा और इसे 20.10.1989/31.03.1989 से पहले स्थापित किसी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं किया जाएगा।

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, ई. एस. आई. निगम ने प्राथमिकता दी है

वर्तमान अपील।

3. अपीलार्थी-ई. एस. आई. निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री महेश श्रीवास्तव ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि धारा 1 में उप-धारा (6) अंतःस्थापित करके किया गया संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा, अपील की अनुमति देने और आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए भी मांग सूचनाओं को रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और ई. एस. आई. अधिनियम

यह एक सामाजिक कल्याण कानून है और इसका उद्देश्य संबंधित श्रमिकों के कल्याण के लिए है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विधायिका ने ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 में उप-धारा (6) को सम्मिलित करना उचित समझा, जिसके द्वारा कोई कारखाना या प्रतिष्ठान ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होगा, भले ही उसमें किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम हो या उसमें विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से जारी नहीं रहती है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अवधि पद के लिए नोटिस की मांग करें

20.10.1989 , इसलिए, धारा 1 की उप-धारा (6) को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अवैध नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिक से अधिक, 20.10.1989 से पहले की अवधि के लिए मांग नोटिस को कानून में खराब कहा जा सकता है क्योंकि उस मामले में ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया कहा जा सकता है।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में धारा 1 डब्ल्यू. ई. एफ. 20.10.1989 की उप धारा (6) के सम्मिलन को देखते हुए, कोई भी कारखाना या प्रतिष्ठान ई. एस. आई. निगम v.

एम/एस। राधिका थिएटर [एम. आर. शाह, जे.]

ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होना होगा, भले ही इसमें किसी भी समय कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम हो।

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और बेंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना। क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. सी.; (2014) 9 एस. सी. सी. 657, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए।

4. हालाँकि कोई भी प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुआ है।

5. अपीलार्थी-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम होने के बावजूद ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा?

एक आनुषंगिक प्रश्न जो इस न्यायालय के विचार के लिए भी रखा गया है, वह यह है कि क्या ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को शामिल किए जाने की तारीख से आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए मांग नोटिस को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है?

6. उपरोक्त मुद्दों/प्रश्नों का उत्तर देते समय ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य और प्रस्तावना का उल्लेख किया जाना आवश्यक है और

विचार किया। ई. एस. आई. अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है: -

" बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने और प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम उसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए।

6.1 इस प्रकार, ई. एस. आई. अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून होने के कारण, कोई भी व्याख्या जो लाभार्थी के पक्ष में होगी, दिया गया। बेंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। ई. एस. आई. अधिनियम के तहत पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद यह माना गया है कि ई. एस. आई. अधिनियम की उदार व्याख्या की जानी चाहिए और इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। पैराग्राफ 16 से 21 में इसे इस प्रकार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16. विधियों की व्याख्या का प्राथमिक नियम हो सकता है -

शाब्दिक नियम, हालांकि, कर्मचारियों, श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिनियमित लाभकारी कानूनों और विधानों के मामले में, इस न्यायालय ने कई अवसरों पर उदार नियम को अपनाया है

व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ उन श्रमिकों तक फैले जिन्हें विधायिका के इरादे के आधार पर शामिल करने की आवश्यकता है।

17. ई. एस. आई. अधिनियम श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की तत्काल आवश्यकता के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक कल्याणकारी कानून है। इस संदर्भ में ई. एस. आई. अधिनियम की प्रस्तावना को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा। यह निम्नानुसार है:

" बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने और उसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम।

18. ई. एस. आई. निगम में। वी. फ्रांसिस डी कोस्टा [1993 सप (4) एस. सी. सी. 100: 1994 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 195], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: (एससीसी पीपी। 105-06 , पैरा 5-6)

" 5. इस अधिनियम में बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट को शामिल किया गया है।

कल्याणकारी विधान के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाना, व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए, भले ही इसके लिए शाब्दिक निर्माण से प्रस्थान की आवश्यकता हो। न्यायालय को अनुच्छेद 38 और 39 और परिकल्पित आर्थिक और सामाजिक न्याय पर प्रकाश डालना चाहिए।

संविधान की प्रस्तावना में जो अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिक के जीवन के सार्थक अधिकार को जीवित करेगी। राज्य को अनुच्छेद 39 (ई) के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का आदेश दिया गया है, अनुच्छेद 41 के तहत बीमारी और अक्षमता लाभों को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है और अनुच्छेद 43 जीवन के सभ्य मानक प्रदान करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 (2) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 7 (बी) के तहत चिकित्सा और विकलांगता लाभों का अधिकार मौलिक मानवाधिकार हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, एक मौलिक मानवाधिकार है जो हमारे संविधान के सामाजिक-आर्थिक न्याय और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित है। साथ-साथ चिकित्सा का अधिकार

एक श्रमिक को लाभ पहुँचाना उसका मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम एक बीमित कर्मचारी के स्वास्थ्य के रखरखाव में सहायता करने का प्रयास करता है। व्याख्यात्मक प्रयास उपरोक्त को प्रभावी बनाने का होना चाहिए।

ई. एस. आई. निगम v. एम/एस। राधिका थिएटर [एम. आर. शाह, जे.]

इस प्रकार, चिकित्सा लाभ का अधिकार श्रमिक का एक मौलिक अधिकार है।

6. इसके अलावा, कानूनों की व्याख्या के क्षेत्र में भी, कानून का शासन विस्तार और पूर्ति की एक गतिशील अवधारणा है, जिसके लिए व्याख्या इस तरह दी जाएगी कि संविधान में परिकल्पित सामाजिक और आर्थिक न्याय को कम किया जा सके। विधान एक सामाजिक दिशा के रूप में एक सचेत प्रयास है।

केवल तभी प्रभावी किया जाए जब कानून के संदर्भ में आत्मनिरीक्षण किया जाए सामान्य सामाजिक जीवन। कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। यह सामाजिक उद्देश्य की सेवा करने का एक साधन है और

लोगों की जरूरतों को महसूस किया। तनाव, अक्षमता, चोट आदि के समय में कर्मचारी को वैधानिक सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता होती है।

यह अधिनियम एक बीमित रोजगार, नियोक्ता और कर्मचारी पर निर्धारित अनुपात और तरीके से कल्याण निधि के लिए योगदान करने का वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है। अधिनियम (अधिनियम की धारा 38 से 51) श्रमिकों को उनकी आवश्यकता के समय में निर्वाह प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से जब वे अपने कार्यों के कारण आर्थिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं।

नौकरी में रहते हुए नौकरी या विकलांगता या मृत्यु हुई। यह तथ्य कि कर्मचारी ने अपनी मेहनत से अर्जित मजदूरी से निधि में योगदान दिया, यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है कि क्या किसी कर्मचारी को लगी चोट या व्यावसायिक बीमारी रोजगार की चोट है या नहीं। दायित्व न तो किसी अनुबंध पर आधारित है और न ही किसी कार्य या चूक पर। लेकिन उस संबंध के अस्तित्व पर जो नियोक्ता उस रोजगार के साथ रखता है जिसके दौरान कर्मचारी घायल हो गया था। यह अधिनियम कानूनी कार्रवाई का स्थान लेता है, जो गलती पर आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण के एक पहलू के रूप में, एक शारीरिक और आर्थिक रूप से विकलांग श्रमिक के पुनर्वास के लिए है जो

एक कर्मचारी की मृत्यु से आश्रितों की बीमारी, चोट या आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

19. परिवहन निगम में ई. एस. आई. अधिनियम के संदर्भ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठा भारत का वी। ई. एस. आई. निगम। [(2000) 1 एससीसी 332: 2000 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 121] ने अभिनिर्धारित किया कि: (एससीसी पीपी। 357-58 , पैरा

27-28)

" 27. इस मुद्दे पर चर्चा से पहले, इस मुख्य तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह अधिनियम [2023] 1 एस. सी. आर. का एक लाभकारी अंश है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट और कुछ अन्य मामलों में कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कानून

इस संबंध में। इसे सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने और उन कर्मचारियों को सुरक्षित बीमा कवर प्रदान करने की दृष्टि से लागू किया गया है जो अपने रोजगार के दौरान विभिन्न शारीरिक बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना रखते थे। इस तरह के लाभकारी कानून को इसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए ताकि इसके अधिनियमन में अंतर्निहित विधायी इरादे को पूरा किया जा सके। जब कर्मचारियों के किसी दिए गए समूह के लिए इसकी प्रयोज्यता पर दो विचार संभव हैं, तो उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विधायी इरादे को आगे बढ़ाता है जो इसे निराश करेगा।

28. इसी अधिनियम से निपटने के लिए, बकिंघम और कर्नाटक कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ v. वेंकटिया [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1272] ने गजेंद्रगडकर, जे., (जैसा कि वे तब थे) के माध्यम से बोलते हुए विद्वान वकील, श्री डोलिया के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि: (एयर पी। 1277, पैरा 10)

'10 यह सामाजिक कानून का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य उन श्रमिकों को निर्दिष्ट लाभ प्रदान करना है जिन पर यह लागू होता है, और इसलिए, प्रासंगिक प्रावधानों को तकनीकी या संकीर्ण अर्थों में समझने का प्रयास करना अनुचित होगा। इस स्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है। लेकिन श्री डोलिया द्वारा उठाई गई याचिका पर विचार करते हुए कि धारा का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उदार निर्माण अंततः धारा में उपयोग किए गए शब्दों से प्रवाहित होना चाहिए। यदि खंड में उपयोग किए गए शब्द दो निर्माणों में सक्षम हैं, जिनमें से एक को सहायता के लिए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है

20. बॉम्बे में आनंद भवन रेस्तरां बनाम। ई. एस. आई. निगम। [बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां बनाम। ई. एस. आई. निगम। , (2009) 9 एससीसी 61: (2009) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 573], यह देखा गया कि (एस. सी. सी. पी. 66, पैरा 20) " 20. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक लाभकारी कानून है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है, बीमारी, प्रसूति और रोजगार की चोट के मामले में कारखाने के कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करना और उसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना है। द.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ई. एस. आई. निगम बनाम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है।

एम/एस। राधिका थिएटर [एम. आर. शाह, जे.]

और एक सामाजिक कानून की व्याख्या करने के सिद्धांत कराधान कानून की व्याख्या के नियमों से अलग हैं। अदालतों को किसी भी ऐसे छल को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सामाजिक कानून के प्रावधानों को विफल कर दे और अदालतों को, यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम की भाषा पर दबाव डालना चाहिए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जो विधायिका ने इस कानून को कानून की पुस्तक में रखने के लिए किया था। इसलिए, अधिनियम को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि इसे बढ़ावा दिया जा सके।

उसकी वस्तुएँ। "

21. विधायिका ने कर्मचारियों को बीमारी, महिला कर्मचारियों के मामले में प्रसूति, रोजगार चोट के मामले में कुछ लाभ प्रदान करने और उसके संबंध में कुछ अन्य मामलों में प्रावधान करने के लिए ई. एस. आई. अधिनियम लागू किया। ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधान मौसमी कारखानों के अलावा अन्य सभी कारखानों पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी से राज्य सरकार

ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत

कोई अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान। ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों में प्रावधान है कि कारखानों या प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारी जिन पर ई. एस. आई. अधिनियम लागू होता है, उनका ई. एस. आई. अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से बीमा किया जाएगा। चूंकि ई. एस. आई. अधिनियम पारित किया गया है

बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ, यह आवश्यक है कि ई. एस. आई. अधिनियम प्राप्त हो

एक उदार और लाभकारी निर्माण ताकि अधिनियम की भाषा के साथ हिंसा किए बिना विधायी उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

7. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को शामिल करने से पहले केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों/कारखानों में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित थे। हालाँकि, इसके बाद, ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को 20.10.1989 पर डाला गया है, और इसके बाद 20.10.1989 एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और संशोधित प्रावधान के तहत एक कारखाना या प्रतिष्ठान जिस पर ई. एस. आई. अधिनियम लागू होता है, ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होगा, भले ही उसमें किसी भी समय कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम हो। इसलिए, 20.10.1989 को और उसके बाद, किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या चाहे जो भी हो, ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा शासित होगा। इसलिए, 20.10.1989 के बाद की अवधि के लिए मांग सूचनाओं के लिए, प्रत्येक कारखाने या प्रतिष्ठान का दायित्व होगा, चाहे उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो। ऐसी सूचना के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि उप-धारा (6) को सम्मिलित करने वाली संशोधित धारा 1 पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया है।

[2023] 1 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (6) को सम्मिलित करने से पहले की अवधि के लिए मांग सूचना के मामले में, यह कहा जा सकता है कि वही प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में एक बहुत ही गंभीर त्रुटि की है कि धारा 1 की उप-धारा (6) डालने के बाद की अवधि के लिए मांग नोटिसों के लिए भी उक्त प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है और उच्च न्यायालय ने अपील को अनुमति देने और 20.10.1989 के बाद की अवधि के लिए भी मांग नोटिसों को रद्द करने में गलती की है। इसलिए धारा 1 की उप-धारा (6) उन प्रतिष्ठानों के संबंध में भी लागू होगी, जो 31.03.1989/20.10.1989 से पहले स्थापित किए गए थे और ई. एस. आई. अधिनियम लागू होगा, भले ही नियोजित व्यक्तियों की संख्या या इसके बावजूद कि किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट सीमा से कम हो। 8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और 20.10.1989 के बाद की अवधि के लिए मांग नोटिस को पुनर्स्थापित किया जाता है। वर्तमान अपील तदनुसार है

अनुमति दी गई। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और राखी, एलसीआरए)